इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अगस्त 2011—भाद्र 4, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2011

क्र. ई. 1-262-2011-5-एक.—श्री संतोष कुमार मिश्रा, भाप्रसे (1999), कलेक्टर, बड़वानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री एस. के. सकुनिया, राप्रसे (पी-1992), अपर कलेक्टर, बड़वानी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, कलेक्टर, बड़वानी का चालू प्रभार सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. ई. 1-162-2011-5-एक.—डॉ. व्ही. एस. निरंजन, भाप्रसे (1990) आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश को अपने कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग घोषित किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. ई. 5-296-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती आभा अस्थाना, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक चार दिन का एक्स-इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक अवकाश) स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति, संसदीय कार्य विभाग तथा ट्रस्टी सचिव, भारत भवन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. ई. 5-829-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नागरगोजे मदन विभीषण, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 23 अगस्त से 9 सितम्बर 2011 तक, अट्ठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 20, 21, 22 अगस्त 2011 एवं दिनांक 10, 11 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री नागरगोजे मदन विभीषण को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नागरगोजे मदन विभीषण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-785-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश विपणन कृषि बोर्ड-सह-संचालक, मंडी, मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 17 से 19 अगस्त 2011 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्रीमती रश्मि अरूण शमी, आयएएस., संचालक, उद्यानिकी-सह-मिशन संचालक, उद्यानिकी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी म. प्र. सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री का चालू कार्यभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-संचालक, मंडी, मध्यप्रदेश सह-अपर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को दिनांक 16 से 19 अगस्त 2011 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 13, 14, 15 एवं 20, 21, 22 अगस्त 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. सुरेश की अवकाश अवधि में श्री जी. पी. सिंघल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य-सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री के. सुरेश द्वारा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जी. पी. सिंघल, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. 5-478-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अनिल श्रीवास्तव, आयएएस., आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को दिनांक 16 से 26 अगस्त 2011 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अनिल श्रीवास्तव की अवकाश की अवधि में श्री आलोक श्रीवास्तव, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने

वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) श्री अनिल श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में डॉ. देवराज बिरदी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आलोक श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रभार से तथा डॉ. देवराज बिरदी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग केवल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में श्री अनिल श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. एफ. 5-14-2010-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 68) की धारा 10 की उपधारा (1-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों जिनकी सेवाएं विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा इस विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गई हैं, को चयन समिति की अनुशंसा पर अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रतिनियुक्ति पर उनके नाम के सामने दर्शाये गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

अनु. क्र.	न्यायिक अधिकारियों का नाम	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सरिता सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, म. प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम, भोपाल.	अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. पी. बिले, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र.एफ 6-1-2011-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि मण्डीदीप (रायसेन) के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट सी.जे. जिलेटिन एम्प्लाईज यूनियन, मण्डीदीप, जिला रायसेन एवं सी. जे. जिलेटिन, प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मण्डीदीप, जिला रायेसन के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका :—

"अनुसूची"

औद्योगिक विवाद क्रमांक 2/एम.पी.आई.आर./10

No. F-6-1-2011-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (27 of 1960), the State Government hereby notify that no settlement was arrived at in the Industrial Disputes between C.J. Gelatin Employees Union, Mandideep District Raisen and C.J. Gelatin Products Limited, Madideep. District Raisen in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local Area of Mandideep (Raisen) :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 2/MPIR/10

क्र.एफ-6-01-2011-ए-सोलह.—चूंकि, सी. जे. जिलेटिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड मण्डीदीप, जिला रायसेन के सेवानियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व सी. जे. जिलेटिन एम्प्लाईज यूनियन मण्डीदीप, जिला रायसेन द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रंबधक सी. जे. जिलेटिन प्रोडक्ट्स प्रायवेट लिमिटेड मण्डीदीप, जिला रायसेन के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है.

और, चूंकि, राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि विद्यमान औद्योगिक विवाद को औद्योगिक न्यायालय को पंचनिर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्योगिक न्यायालय, खंडपीठ भोपाल को पंचनिर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

1. प्रबंधन सी. जे. जिलेटिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड मण्डीदीप, जिला रायसेन में नियोजित श्रमिकों के लिये समझौते के मुताबिक बोनस राशि रुपये 6,000/- वर्ष 2009-10 के लिये 102 श्रमिकों द्वारा प्राप्त करने के बावजूद शेष 39 श्रमिकों द्वारा 20 प्रतिशत की दर से बोनस राशि की मांग करना क्या औचित्य पूर्ण है? यदि हां तो इस संबंध में नियोक्ता को क्या निर्देश दिये जाने चाहिये?

2. क्या 102 श्रमिक जिनने रुपये 6,000/- की दर से बोनस भुगतान प्राप्त कर लिया है, उनके संबंध में भी नियोजक को कोई निर्देश दिया जाना उचित होगा?

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ. 13-5-11-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा-34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 1 की इकाई क्रमांक 4 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3220 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 23 जून 2001 से 22 सितम्बर 2011 तक, तीन माह के लिए छूट देता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

क्र. एफ. 13-6-11-अ-ग्यारह.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह क्रमांक 3 की इकाई क्रमांक 9 के वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/3534 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबन्धों के प्रवर्तन से दिनांक 8 जुलाई 2011 से 7 अक्टूबर 2011 तक, तीन माह के लिए छूट देता है:—

1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश, इंदौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत कुमार व्यास, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. एफ-1(ए)-145-1990-ब-2-दो.—(1) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (चयन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 30 अगस्त 2011 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15 एवं 31 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री अरविन्द कुमार के अवकाशकाल में उनका कार्यदायित्व श्री यू.सी. षंडगी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (चयन) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अरविन्द कुमार द्वारा अवकाश से वापिसी पर अपना कार्यभार ग्रहण करने पर श्री यू.सी. षंडगी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त अतिरिक्त कार्यभार से स्वमेव मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते हैं तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. एफ-1(ए)-267-86-ब-2-दो.—(1) श्री यू. के. लाल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (शिकायत एवं मानव अधिकार) को दिनांक 16 से 30 अगस्त 2011 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 13, 14, 15 एवं 28 अगस्त 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री यू. के. लाल के अवकाशकाल में उनका कार्यदायित्व श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यू. के. लाल, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति पुलिस महानिदेशक, (शिकायत एवं मानव अधिकार) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री यू. के. लाल द्वारा अवकाश से वापिसी पर अपना कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत), पुलिस मुख्यालय, भोपाल उक्त अतिरिक्त कार्यभार से स्वयमेव मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री यू. के. लाल, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यू. के. लाल, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-54-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-54-2011-बत्तीस, दिनांक 3 जून 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित सागर विकास योजना-2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

''उपांतरण विवरण''

क्र.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम ललई टौरी	3/1	1.67	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक (स्वास्थ्य एवं मार्ग).	आवासीय (मार्ग यतावत्)
		योग . .	1.67		

2. उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना-2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 625-राजस्व-11. सतना, दिनांक 18 अगस्त 2011

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना

प्रथम पक्ष

के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर जिला सतना

द्वितीय पक्ष

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (प्रथम पक्ष) के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-14-2011-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर जिला सतना के मेगा सीमेन्ट प्लांट को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम अमिलिया खुर्द एवं लखवार की 19.532 हेक्टेयर निजी भूमि के भू-अर्जन की सशर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेगा सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर जिला सतना की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है.

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष, के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर जिला सतना का व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्शियल एवं प्रिंसिपल आफीसर ऑफ कंपनी हूं.

2. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावेगी.

3. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामें या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.

4. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा.

5. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.

6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.

7. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर जो भी कार्यवाही करेंगे, मान्य होगी.

8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.

9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.

10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.

12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).

13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.

14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.

15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.

17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.

18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.

20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कम्पनी से ली जावेगी.

21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें मान्य होंगी.

हस्ता./-
(कुशल सिंह सिंघवी)
व्हाइस प्रेसीडेंट कामर्सियल एवं
प्रिंसिपल आफीसर आफ कंपनी
के. जे. एस. सीमेंट लिमिटेड, मैहर
जिला सतना (मध्यप्रदेश)

हस्ता./-
(सुखबीर सिंह)
कलेक्टर,
जिला सतना, मध्यप्रदेश.

साक्षी क्रमांक 1.
हस्ता./-
(नागेन्द्र सिंह)
बरहना सदन, सतना.

साक्षी क्रमांक—1.
हस्ता./-
(राजीव दीक्षित)
डिप्टी कलेक्टर,
सतना. (म. प्र.)

साक्षी क्रमांक 2.
हस्ता./-
(यादुवेन्द्र सिंह बैस)
पुरानी बस्ती, मैहर.

साक्षी क्रमांक —2.
हस्ता./-
(आर.बी. शर्मा)
सहा. वर्ग-3
कलेक्ट्रेट, सतना.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-197-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	चंदेरी	बम्नाई	2.491	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.	थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-201-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	चंदेरी	रामपुर मुहाल	21.162	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.	थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-205-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	चंदेरी	जियाजीपुर	19.780	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अशोकनगर, जिला अशोकनगर, म.प्र.	थूबोन तालाब की डूब भूमि एवं बांध के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी, चंदेरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 12 जुलाई 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-208.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के पद क्रमांक (3) से (6) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (8) में बताये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अधीन इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा पद नंबर (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण						धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण (हेक्टर में)				
			शासकीय	निजी	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शाजापुर	नलखेडा	रूपारेल	7	1.03	1.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, शाजापुर मध्यप्रदेश.	नवीन ग्राम रूपारेल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
		योग . .		1.03	1.03		

नोट.—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 29 जुलाई 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	आमखेडी	29.28 एकड़ 11.850 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	मनीरामपुरा	33.20 एकड़ 13.436 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	नोमनीया	3.13 एकड़ 1.267 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	जस्सूपुरा	24.99 एकड़ 10.113 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—मनीरामपुरा जलाशय के शीर्ष भाग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीहोर, दिनांक 1 अगस्त 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	आष्टा	सिद्धीकगंज	5.53 एकड़ 2.238 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, सीहोर.	रामपुराखुर्द तालाब की नहर की उप नहर क्र. 01 के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रामपुराखुर्द तालाब की बांयी नहर की उप नहर क्र. 01 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अ. वि. अ./भू-अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	मण्डी	4.071	कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज.	अतरालिया उप नहर की टेल माइनर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 2 अगस्त 2011

क्र. 154-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	पड़खुरी पवई	4.513	उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर.	रीवा-सीधी बड़ी रेल लाइन के निर्माण हेतु.

सीधी, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 155-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बड़ेसर	0.90	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 157-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	मोहनी	6.00	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 159-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	चौगनहा	7.01	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 15	3.21 हे.
					मुख्य नहर	3.80 हे.
					योग . .	7.01 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 161-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	इटहा	15.90	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 13	4.20 हे.
					मा. न. -14	4.95 हे.
					मुख्य नहर-	6.75 हे.
					योग . .	15.90 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 163-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	भूइयांडोल	17.10	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 12	8.10 हे.
					मुख्य नहर	9.00 हे.
					योग . .	17.10 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 165-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	धनोखर	18.60	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 11	14.10 हे.
					मुख्य नहर	4.50 हे.
					योग . .	18.60 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र . 167-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	रकेला	23.97	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 8	11.13 हे.
					मा. न. -9	3.39 हे.
					मुख्य नहर-	9.45 हे.
					योग . .	23.97 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 169-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	उमरिहा	0.90	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 171-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सीधी	रामपुर नैकिन	धनहा	26.04	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	मा. न. - 6	3.00 हे.
					मा. न. -7	3.48 हे.
					मा. न. -10	6.00 हे.
					मुख्य नहर-	13.50 हे.
					योग . .	26.04 हे.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 173-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	जमुनिहा	7.50	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 175-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	कोनिया	5.79	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 177-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रिमारी	2.40	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 179-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	बरौं	6.00	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 181-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	रेहुंटा	4.62	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 183-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	खड्डी कला	2.40	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 185-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	खड्डी खुर्द	2.94	कार्यपालन यंत्री, महान परियोजना संभाग, सीधी.	नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. क-प्र.भू.-अर्जन-6552-अ-82-वर्ष 10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल ख.नं.	कुल रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	सागर	परसोरिया	9	0.18	म. प्र. रोड डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लि. सागर.	सागर-दमोह मार्ग, राज्य मार्ग क्र. 42.
		रंगोली	7	0.28		
		योग	16	0.46		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए—बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., सागर (म. प्र.).

(3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र.भू.अ.-2011-6554.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			ख. नं.	कुल रकबा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	मालथौन	खैरैरा	3	0.22	संभागीय प्रबंधक, रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, सागर संभाग, सागर.	बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अ.वि.अ., राजस्व, खुरई में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 6555-अ-प्र.भू.अर्जन-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
सागर	गढ़ाकोटा	मुर्गा	17	15.55	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन क्र. 01, सागर संभाग, सागर (म. प्र.).	दरारिया जलाशय योजना के शीष कार्य (बांध) एवं नहर निर्माण में आने वाली शेष कृषकों की निजी भूमि का भू-अर्जन.

नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी महोदय, रहली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 12744-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	धामन्या	0.345	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	धामन्या तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		कुल योग	0.345		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12746-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	गोरधन पुरा	0.435	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	बोरदा खुर्द तालाब की नहर निर्माण हेतु आ रही भूमि का अर्जन.
		बोरदा खुर्द	0.412		
		गादिया चारन	0.174		
		कुल योग :—	1.021		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर/जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1259-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	बामनपुरी	2.265	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1258-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	पिड़ाय बुजुर्ग	4.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1261-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	अगरवाड़ा	6.799	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1257-भू-अ.-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	बफलगांव	4.160	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी औंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1264-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	नांदिया	0.050	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1262-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	गाडरीया	5.710	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1256-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	राजपुरा	2.225	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1260-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	सिरलाय	1.991	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1263-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	बड़वाह	मालीपुरा	6.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के राइजिंग मेन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी ओंकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1270-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	चिरागपुरा	9.209	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1271-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों

को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	एकतासा	5.900	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	मालखेड़ा तालाब योजना के शीर्ष कार्य, डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 3034-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	धतुरिया	0.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01 झाबुआ.	धोलीखाली तालाब निर्माण हेतु.
		योग . .	0.25		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्र.-भू-अर्जन-442-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील/तालुक—चन्देरी

(ग) नगर/ग्राम—रामपुर मुहाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल —21.162 हेक्टर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	3.659
3/1/क	1.114
3/1/ख	0.349
3/2/क	1.672
3/2/ख	0.418
3/3	2.392
3/4	3.554
4	0.596
6/1	2.561
6/2	2.561
7/2	1.432
12	0.025
14	0.115
15	0.021
20	0.094
21	0.473
22	0.126
योग . .	21.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थूवोन तालाब निर्माण योजना के अन्तर्गत डूब में आयी भूमि का स्थायी अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी चंदेरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-447-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर

(ख) तहसील/तालुक—चन्देरी

(ग) नगर/ग्राम—जीयाजीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —19.780 हेक्टर.

खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
117	0.658
119/1	0.836
119/2/2/क	0.188
119/2/2/ख	0.923
121/1/1	0.658
130/1	1.993
131/2	1.160
131/3	0.985
136	0.972
137	1.473
138	0.982
139	0.564

(1)	(2)
140	0.230
141	0.685
142	1.170
144/1	1.790
144/2	1.791
144/3	1.227
145	0.669
147	0.826
योग . .	19.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—थूवोन तालाब निर्माण योजना के अन्तर्गत डूब में आयी भूमि का स्थायी अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी चंदेरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 11 जुलाई 2011

क्र.-भू-अर्जन-2010-201.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—नलखेड़ा
(ग) ग्राम—रिण्डोली निजी भूमि, टोलक्या, रिण्डोली कोहड़िया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.17 हेक्टर.

भूमि सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम-रिण्डोली निजी भूमि	
465/1, 465/2	0.23
295	0.05
ग्राम-टोलक्या	
548	0.07
549	0.06
562	0.05
646	0.03
557	0.05
613	0.08
556	0.12
553	0.03
642	0.04
561	0.15
563	0.02
564	0.03
565	0.04
641	0.07
643	0.29
644	0.09
645	0.08
647	0.06
614	0.08
622	0.03
648	0.02
624	0.03
623	0.09
612	0.02
418	0.05
441	0.23
434	0.14
439	0.02
438	0.03
397	0.11
440	0.05
ग्राम-रिण्डोली	
574/2	0.04
575	0.25

(1)	(2)
ग्राम-कोहड़िया	
713	0.12
690 मी	0.10
691मी, 691मी.	0.06
692/1, 692/मी., 692/2मी.	0.14
693/2	0.02
694/1, 691/2, 694/2मी., 694/2 मी.	0.01
695/1, 695/2	0.01
695/2, 696	0.21
684, 618 में से	0.24
689	0.09
101/2	0.13
104	0.06
117, 118, 119	0.14
90, 91, 121, 122	0.40
123/2, 125/1	0.15
90, 91, 121, 122	0.07
90, 91, 121, 122	0.11
124/1, 124/2	0.10
70/1	0.16
योग . .	5.17

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिजनाखेड़ी तालाब की नहर श्री एल एवं टेल के निर्माण हेतु संपादित होने वाली भूमि बाबत्.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, जिला शाजापुर के कार्यालय में व भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जुलाई 2011

क्र. 1254-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—करैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —3.593 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
392/1	0.216
392/2	0.014
391/1	0.252
391/2	0.468
385/2	0.144
385/1	0.266
384	0.075
381	0.040
383	0.050
380	0.470
372	0.086
373	0.096
675	0.115
679	0.302
682	0.014
650	0.117
649	0.144
643/1	0.072
643/2	0.122
643/3	0.094
699	0.324
700	0.122
योग . .	3.593

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सापन उद्वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1255-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा

(ख) तहसील—शमशाबाद

(ग) ग्राम—रूसल्ली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —7.212 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
84/2	0.086
85/2	0.274
91	0.040
92	0.166
106	0.220
107/2	0.010
104	0.086
117	0.244
132/2	0.245
129	0.194
127/1	0.288
148/1क	0.115
149/2	0.129
353/1	0.165
151/1	0.144
151/2	0.122
357	0.216
355	0.252
343	0.158
349/1	0.512
349/2	0.512
345/1	0.025
345/2	0.194
399/1	0.036
398	0.208
(1)	(2)
391	0.029
387	0.040
382	0.108
383	0.314
378	0.387
380	0.144
353/1	0.165
392/1	0.126
392/2	0.126
395	0.237
103	0.200
356/1	0.018
356/2	0.011
646/क	0.216
646/1ख	0.072
646/2	0.072
648/1क	0.065
662	0.209
664	0.032
योग . .	7.212

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— सापन उद्‌वहन सिंचाई योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 जुलाई 2011

क्र. 1462-भू-अर्जन-2011-रा.प्र. क्र. 18-अ-82-2010-11-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग,

इन्दौर के पत्र क्रमांक-828--5-कोर्ट-10 इन्दौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2010 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) के तहत् अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—बंधारा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.772 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
3/3 क	0.310
18/1	0.230
18/2	0.074
19	0.240
20/1क	0.060
20/1ख	0.060
20/2	0.126
21/3	0.080
21/10	0.040
21/4	0.128
21/6	0.084
21/7	0.084
21/8	0.066
22/1	0.140
22/2	0.128
22/3	0.025
22/4	0.179
23/3 व 23/4	0.120
23/5	0.192
31/1	0.162
31/2	0.032
47/3	0.036
31/5	0.034
47/4	0.036
31/6	0.036
47/5	0.034
31/7	0.030
47/6	0.034
31/8	0.118
47/7	0.034
40/1/3	0.240
40/1/4	0.080
41/2	0.262
42/1	0.420
72/2	0.080
72/3	0.080
86/1	0.044
72/4	0.080
72/5 व 73	0.080
74/1	0.260
96/2	0.120
85	0.108
86/2	0.102
86/3	0.046
87/2	0.152
87/3	0.030
89/1 घ	0.032
89/2	0.050
89/3	0.150
96/1	0.120
97/1	0.042
97/2	0.040
97/3	0.040
97/2 क	0.114
97/3 घ	0.048
योग . .	5.772

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देवधर तालाब योजना की नहर प्रणाली के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग, सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 9 अगस्त 2011

क्र. 1355-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—मझौली
(ग) ग्राम—डॉगा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.43 हेक्टर.

हाल नम्बर	पुराना नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1904/2	742/2 जु.	1.441 जु.	0.06
1918/2	744/2 जु.	0.518 जु.	0.05
1904/1 जु	742/2 जु.	1.441 जु.	0.06
1918/1 जु	744/2 जु.	0.518 जु.	0.05
1857/1	745/1	0.429 जु.	0.02
1912	744/1	0.510	0.04
1529/1	–	0.051 जु.	0.01
1915, 1857/2	745/1 जु	0.429 जु	0.05
1860	–	–	–
1529/2	–	0.051 जु.	0.01
1914, 1911	745/3	0.263	0.03
1861	745/2	0.630	0.02
1856, 1910	745/4	0.263	0.03
		योग . .	0.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सेहरा बांध की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी मझौली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 अगस्त 2011

प्र. क्र. 32-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—पचवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —17.087 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/2	0.002
4	0.197
5	0.222
14	0.024
15	0.086
16	0.078
17	0.016
19	0.056
20	0.112
21	0.106
22	0.014

(1)	(2)	(1)	(2)
23	0.144	128/2	0.052
24/1	0.110	130	0.045
28	0.330	131	0.068
29/1	0.003	146	0.246
30/1	0.104	148	0.186
30/2/1	0.183	149	0.117
30/2/2	0.096	150	0.120
31	0.351	151	0.022
34/1	0.104	154	0.060
34/2	0.096	163	0.282
35/1	0.006	165	0.072
42/1	0.012	166	0.090
42/2	0.006	183/2/1	0.026
44	0.156	183/2/4	0.120
45	0.048	185/1	0.126
46	0.034	185/2	0.122
47	0.068	186/2	0.008
53	0.192	187	0.177
62	0.062	288	0.144
64/1	0.057	289	0.186
64/2	0.102	295	0.444
69	0.028	297	0.192
70	0.216	298	0.036
71	0.276	299	0.144
72	0.120	314	0.109
75	0.128	315	0.026
76	0.293	316	0.366
77	0.097	317	0.01
78	0.072	318/1	0.032
79	0.115	319/1	0.096
80	0.100	319/2	0.004
81	0.192	320	0.240
85	0.070	321	0.111
86	0.180	322	0.008
87/1	0.189	348	0.064
88	0.198	349/3	0.054
124	0.020	350/1	0.120
125	0.010	350/3/1	0.180
126	0.130	350/3/2	0.054
127	0.180	350/3/3	0.104
128/1	0.170	584	0.375

(1)	(2)
585	0.240
587/1	0.024
587/2	0.163
587/3	0.162
589/4	0.207
589/7/3	0.180
589/8/1	0.210
589/8/2	0.114
590/1/1	0.084
590/1/2	0.147
598/17	0.414
605/1	0.36
625	0.168
626	0.010
627/1	0.248
627/2	0.120
628/1	0.022
628/2	0.134
629/2/2	0.167
629/3/1	0.060
629/3/2/2	0.153
629/3/2/3	0.012
629/4	0.327
629/5	0.156
644	0.088
647	0.196
648	0.206
649	0.204
650	0.003
651/10/2	0.252
651/11/5/1	0.288
651/7/1/1	0.234
651/7/4	0.348
666/588	0.060
668/585	0.327
योग . .	17.087

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की चुकाटा वितरक नहर एवं चुकाटा वितरक नहर की धावा माइनर एवं हरवंशपुर माइनर एवं चकखडेहा वितरक नहर की पचवरा माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 48-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—चकखडेहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —1.395 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
28/2	0.112
28/1/1/2	0.312
28/3/1	0.060
28/3/2	0.032
30/1/5	0.066
36/1/1/3	0.060
36/4/1	0.106
36/1/2	0.306
36/1/1/5	0.054
36/2	0.096
36/1/1/2	0.085
36/3/2	0.106
योग . .	1.395

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से पचवरा वितरक नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 54-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—सरबई

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —48.003 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
10/2	0.305
10/3	0.016
15/1 ख	0.205
30	0.032
35	0.094
36	0.138
37	0.018
38	0.045
39	0.042
40	0.122
44	0.198
46	0.110
48	0.348
50 में से	0.042
57/2	0.258
58	0.085
59	0.032
67	0.008
68	0.015
74	0.100
87	0.025
88	0.108
89	0.008
90/1	0.076
90/2	0.188
97	0.075
99	0.010
100/2	0.012
103/1	0.045
103/2	0.036
103/3	0.036
104/2	0.045
105/2	0.152
108/1/1	0.345
108/1/3	0.058
151/1/1	0.025
153	0.135
156	0.025
162	0.163
163	0.042
168	0.155
169	0.012
231	0.044
232/क	0.088
232/ख	0.075
232/ग	0.065
233	0.020
234	0.020
235	0.158
236	0.005
239	0.040
240	0.108
244/1	0.070
327	0.008
328	0.160
331	0.062
347	0.075
348	0.090
349/1	0.154
349/2	0.012
382	0.070
384/1	0.090
384/2	0.032
385	0.042
393	0.059
395	0.028
396	0.155
401/1	0.032
402	0.006
403/1	0.086
403/2	0.098

(1)	(2)	(1)	(2)
414	0.026	980	0.155
429/1	0.150	981	0.072
464/5/2	0.130	986	0.140
464/9/1	0.065	1004/2	0.090
464/9/2	0.095	1008	0.142
469	0.220	1009	0.212
480/1	0.208	1010/2	0.040
480/2	0.066	1011/1/1	0.018
518	0.328	1011/1/2	0.044
519	0.152	1011/1/3	0.158
523	0.108	1016	0.190
531	0.245	1018	0.078
555	0.165	1022	0.202
570	0.132	1023	0.144
571	0.092	1046	0.272
573	0.245	1047	0.062
574/1	0.175	1127	0.162
574/2	0.108	1128	0.140
577	0.080	1129	0.008
603	0.230	1130/1 ख	0.070
606	0.125	1131	0.100
619	0.192	1133	0.050
622	0.112	1134	0.100
628/1	0.220	1141/1 क	0.075
628/2	0.086	1142	0.080
630	0.188	1143/2	0.024
632	0.003	1144	0.045
639	0.052	1149	0.025
640	0.126	1150/1	0.050
643	0.140	1150/2	0.045
866	0.165	1151/1	0.025
869	0.202	1153/1	0.030
870	0.016	1153/1/1	0.020
875	0.148	1153/2	0.050
952	0.082	1155/1 क	0.024
953/1	0.055	1205	0.138
953/2	0.092	1209/1	0.104
954	0.065	1209/2	0.036
973	0.028	1213	0.132
975	0.178	1215	0.028
976/3514	0.135	1232	0.125
979/1 ख	0.024	1233/1	0.200
979/2 ख	0.018	1235/1	0.070
979/2 क	0.120	1235/2	0.210

(1)	(2)	(1)	(2)
1235/3	0.048	1861	0.096
1235/4	0.078	1862/2	0.014
1237	0.015	1866/2/1	0.025
1238	0.045	1866/2/2	0.025
1239	0.125	1867/1	0.055
1240	0.078	1867/3	0.065
1243/1	0.118	1868	0.060
1246	0.036	1913/1	0.060
1247	0.125	1913/2	0.115
1248	0.020	1913/3	0.115
1288	0.100	1914	0.024
1289/2	0.004	1916	0.006
1290 क	0.100	1917	0.080
1290 ख	0.020	1918	0.100
1324	0.010	1919	0.080
1547/1	0.102	1920	0.035
1548/1	0.074	1929	0.030
1548/2	0.075	1930	0.005
1549	0.115	2003	0.008
1550	0.035	2004	0.072
1583	0.050	2006	0.064
1587	0.208	2007	0.010
1590	0.014	2014	0.008
1592	0.120	2015 पार	0.010
1605	0.058	2016	0.200
1606/1	0.098	2018	0.045
1668/2	0.242	2019	0.110
1670/1/1 में से	0.140	2026	0.120
1670/2	0.305	2027	0.150
1670/4	0.120	2028	0.376
1672/2	0.186	2029/1	0.045
1724/1 क	0.180	2029/2	0.130
1724/1 ख	0.180	2030	0.125
1724/1 ग	0.180	2036	0.360
1724/1 घ	0.180	2037	0.042
1797/1	0.210	2038	0.030
1797/2	0.110	2059/1	0.120
1825/1	0.250	2/1/2059	0.120
1825/1/2	0.254	2061	0.232
1826	0.120	2062	0.036
1827	0.006	2067	0.108
1840	0.097	2068/2	0.036
1843	0.064	2069/2	0.015
1858	0.010	2070	0.090

(1)	(2)	(1)	(2)
2071	0.080	2472	0.195
2072	0.100	2474	0.100
2073	0.120	2475/1	0.045
2167/1 क	0.080	2475/2	0.060
2167/1 ख	0.150	2476	0.190
2167/4	0.180	2477/1	0.020
2168	0.060	2477/2	0.180
2169/1	0.005	2479	0.030
2170	0.010	2480	0.030
2175	0.080	2481	0.020
2176/1	0.096	2483	0.072
2185/1 क	0.100	2484	0.060
2239/2	0.005	2718	0.032
2240	0.280	2719	0.130
2246 रास्ता	0.030	2720	0.104
2248	0.260	2721	0.020
2251	0.280	2723	0.030
2252	0.275	2727	0.360
2253	0.020	2730	0.045
2258	0.200	2835/1	0.140
2259	0.104	2835/2	0.020
2260	0.360	2836	0.025
2276/1ग/2/1	0.100	2837	0.005
2277/1	0.112	2842	0.160
2278	0.260	2843	0.125
2279	0.020	2845	0.010
2280	0.120	2847/2	0.005
2281	0.040	2848	0.120
2408	0.030	2849	0.100
2409	0.150	2850	0.018
2410	0.110	2851	0.004
2417	0.160	2852	0.144
2418	0.240	2853	0.104
2442	0.140	2870	0.030
2443	0.030	2871/1	0.004
2444	0.025	2872	0.007
2445	0.130	2873	0.080
2446	0.072	2874/2 ख	0.030
2447	0.060	2875	0.030
2449	0.065	2876	0.004
2450	0.015	2877	0.140
2451	0.045	2916/1	0.032
2452	0.240	2916/2	0.033
2469	0.090	2960	0.100

(1)	(2)	(1)	(2)
2961	0.280	3082	0.640
2962/1	0.005	3094	0.025
2962/2	0.010	3095/1	0.008
2972	0.080	3097	0.120
2973	0.200	3098	0.170
2974	0.030	3103	0.053
2979	0.332	3104/1	0.100
2990	0.155	3104/2	0.080
2992	0.160	3105/1	0.032
2993	0.055	3105/2	0.032
2994	0.080	3111	0.100
2995	0.160	3112	0.180
2996	0.100	3113	0.040
2997	0.010	3114	0.160
3004/1	0.120	3116	0.128
3004/2	0.210	3117	0.008
3005	0.008	3118	0.400
3006	0.007	3136	0.036
3008	0.008	3137	0.320
3010	0.020	3138	0.200
3011	0.010	3139/1	0.100
3012	0.140	3139/2	0.100
3013	0.008	3161	0.320
3015	0.052	3162 पार	0.015
3035/2	0.016	3164	0.184
3036/1	0.160	3169	0.005
3037	0.004	3170	0.065
3040	0.080	3173	0.080
3041	0.200	3175	0.060
3042	0.020	3176	0.200
3045	0.006	3183	0.045
3046	0.500	3184	0.360
3047	0.060	3186	0.005
3048	0.080	3187	0.085
3049	0.160	3188	0.200
3051	0.080	3189	0.045
3052	0.100	3190	0.325
3053	0.120	3191	0.036
3054/1 ए	0.125	3197	0.240
3054/2 बी	0.160	3198	0.235
3077	0.020	3200	0.240
3079	0.060	3201	0.060
3080	0.030	3202	0.005
3081	0.005	3204	0.640

(1)	(2)
3205 पार	0.020
3206	0.160
3207	0.064
3208	0.160
3209	0.075
3213	0.375
3222	0.240
3223	0.224
3227	0.030
3228	0.040
3229	0.330
3230	0.160
3231	0.131
3256	0.160
3257	0.018
3258 पार	0.012
3259	0.160
3260	0.150
3261	0.010
3262	0.040
3263	0.025
3275	0.016
3277	0.200
3278	0.008
3284/1	0.064
3285	0.120
3286	0.018
3287/1	0.150
3287/2	0.050
3290/1	0.036
3290/2	0.036
3292	0.080
3297	0.084
3298	0.090
3299	0.112
3300	0.050
3306	0.165
3308	0.120
3309	0.105
3310	0.030
3311	0.065
3314	0.080
3315	0.120
3316/1	0.010
3316/2	0.030
3316/3	0.140
3319	0.045
3436	0.160
3440/3279	0.005
3475/2186	0.005
3476/2186	0.060
3484/2476	0.060
कुल अर्जित रकबा . .	48.003

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 माइनरों सहित एवं सरबई वितरक नहर क्र. 2 माइनरों सहित के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 17 अगस्त 2011

प्र. क्र. 83-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—किशोरीपुखरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.144 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
4/2	0.210
53/2	0.038
103/1	0.300
103/2	0.082

(1)	(2)
103/8/1	0.163
103/9	0.385
143	0.170
144	0.010
145	0.040
146	0.110
152	0.120
154	0.076
159	0.430
160	0.010
योग . .	2.144

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 की किशोरीपुखरी माइनर सरबई माइनर नहर नं. 1 और महोईखुर्द द्वितीय माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 84-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार
(ग) ग्राम—मालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —2.720 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
248/1	0.215
248/3	0.132
248/5	0.110
260	0.162
262	0.190
263/1	0.142
346	0.102
348/1	0.038
348/2	0.198
349/1	0.034
349/2	0.022
350/1	0.060
350/2	0.068
351	0.090
353/1	0.050
353/2	0.050
353/3	0.070
359	0.212
363	0.258
364/1	0.166
404	0.207
406/1	0.066
406/2	0.078
योग . .	2.720

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर नं. 1 एवं मालपुर माइनर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंड़ी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 100-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—गौरिहार

(ग) ग्राम—नांद

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि —5.474 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या (1)	खसरे का अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
399/2/1	0.118
400/1	0.225
400/2	0.125
406	0.120
409	0.160
480	0.154
497/2	0.060
542	0.200
553	0.008
555	0.130
556	0.190
606	0.156
609	0.154
611/1	0.105
611/2	0.020
610	0.014
639	0.145
640	0.145
642	0.182
655	0.154
660/1	0.108
665	0.195
666	0.120
674/1	0.245
674/2/2	0.045
808	0.130
811	0.120
819/1	0.045
819/2	0.155
923/2	0.042
851	0.295
853	0.202
854	0.350
859	0.122
860	0.180
864	0.148
870	0.252
1036/643	0.155
योग . .	5.474

(2) बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर की सरबई वितरक नहर क्र. 1 की नांद माइनर नं. 1 एवं 2 के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 12738-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रोज्या तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—रोज्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल —30.120 हेक्टेयर

सर्वे नं. (1)	रकबा (हे. में.) (2)
32/2	0.569
32/5	0.050
31/2	0.070
31/7	0.200
31/8	0.300
19/3	1.379
19/5	2.276

(1)	(2)
19/2	0.505
114/4	0.020
37/2	0.505
19/4	1.518
31/3	1.694
31/4	1.694
31/5	1.200
36/1	1.645
31/6	1.080
31/1	0.124
33/7	1.224
33/6	1.224
33/4	2.000
33/2	3.035
36/2	1.518
36/3/1	0.345
36/3/3	0.017
41/3	0.280
41/7	0.120
43/2/1	1.264
41/4	0.400
19/1/1	1.138
19/1/2	1.138
20/1/2	0.186
19/1/3	0.651
20/1/4	0.751
योग . .	30.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—रोज्या तालाब डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12746-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (रावतपुरा नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—रावतपुरा, खाजला, देवलीकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.940 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
नहर में शेष अर्जित भूमि ग्राम-रावतपुरा	
45/1/8	0.180
योग . .	0.180
ग्राम-खाजला	
121/3	0.270
121/4	0.100
121/2/1	0.100
121/2/2	0.100
योग . .	0.570
बांध में शेष अर्जित भूमि ग्राम-देवलीकला	
485/1	0.190
योग . .	0.190
महायोग . .	0.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— रावतपुरा नहर एवं डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12750-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कंवरपुरा नहर निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कंवरपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.165 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
200/1	0.120
188	0.043
190	0.015
55	0.057
132	0.040
49/7	0.072
58	0.057
42/2	0.018
42/4	0.024
201	0.068
172	0.048
175	0.029
174	0.020
44	0.060
56	0.027
43/1	0.038
42/5	0.016
187	0.043
189	0.093
180	0.067
134	0.112
120	0.017
57	0.031
43/2	0.034
42/6	0.016
योग . .	1.165

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— कंवरपुरा नहर निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12756-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कलालपुरा नहर निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कलालपुरा, चौकी, बानपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —4.972 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
नहर में अर्जित भूमि ग्राम-कलालपुरा	
37	0.032
70/1	0.075
70/2	0.050
72	0.050
73	0.065
75/1	0.064
75/2	0.048
83	0.096
85	0.025
69/1	0.085
82/2	0.065
76	0.100
5/3	0.193
योग . .	0.948
ग्राम चौकी	
126/1/1	0.032
126/1/2	0.032
126/1/5	0.032
127/4	0.083
127/6	0.083
131/1	0.096
126/1/3	0.032
135/6	0.289
127/5	0.083
127/7	0.080
135/1	0.072
126/1/4	0.032
126/3	0.064
131/9	0.035
131/7	0.003
योग . .	1.048

(1)	(2)
बांध में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम-कलालपुरा	
49/3	1.000
37	0.226
योग . .	1.226
ग्राम-बानपुर	
340/2/1	0.253
340/3	1.000
344/7	0.497
योग . .	1.750

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—कलालपुर नहर निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12758-भू.-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कानबे नहर निर्माण कार्य के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कानबे, बांकपुरा एवं तिंदोनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —9.049 हेक्टेयर

सर्वे नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
नहर में अर्जित भूमि	
ग्राम-कानबे	
77/1	0.144
77/2	0.144
77/3	0.144
75	0.152
73	0.168
70	0.140
71	0.120
योग . .	1.012
ग्राम-बांकपुरा	
539	0.228
540	0.072
543/1	0.168
543/4	0.162
543/3	0.162
545	0.230
546	0.230
544	0.120
548	0.120
470/1	0.090
470/2	0.090
471/1	0.040
471/2	0.040
471/3	0.040
472	0.163
योग . .	1.955
बांध में शेष अर्जित भूमि	
ग्राम-कानबे	
123	1.310
106/10	0.624
37/11	0.691
18/1	0.75
106/1	0.758
18/2	0.459
18/3	0.351
18/4	0.361
18/5	0.361
योग . .	5.665
ग्राम-तिंदोनिया	
3/1	0.139
3/2	0.139
3/3	0.139
योग . .	0.417
कुल योग . .	9.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—कानबे नहर निर्माण कार्य, डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1265-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—झिरन्या
- (ग) ग्राम—डेहरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.505 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
126/1/2/1	0.182
126/1/2/2	0.130
126/1/2/3 126/3, 126/4	0.130
126/1/2/4, 126/5	0.132
132	0.486
133/1/2	0.140
133/1/3	0.263
136/3, 137	0.243
139	0.283
140/1	1.011
141/1/1	0.142
166, 167, 168	0.890
190/9	0.263
190/12	0.243
193/2	0.242
193/6ख	0.320
193/9ख	0.405
योग . .	5.505

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1266-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—झिरन्या
- (ग) ग्राम—माण्डवाबुजुर्ग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.214 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/2/1, 1/1/1/2/3	0.445
3/1/1/1/2	0.148
3/1/2	0.135
4/1, 4/2 2	0.486
योग . .	1.214

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1267-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—भीकनगांव
- (ग) ग्राम—बोरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.928 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
152/2	0.650
152/3	0.971
192/1	1.157
192/3	0.150
योग . .	2.928

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बोरगांव तालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1268-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—झिरन्या
(ग) ग्राम—रेहटिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.350 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
90/16	0.080
90/18/1ख	0.080
90/18/2ख	0.070
90/18/3ख	0.070
90/19/1	0.080
90/19/2	0.080
90/19/3	0.050
90/20/1	0.140
90/20/2	0.091
90/21क	0.120
90/23क	0.100
90/65	0.080
90/62ख	0.309
योग . .	1.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—देवलिया तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 1275-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—बहुरी बांध
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.723 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
382	0.200	–
458	0.100	–
776	0.405	–
777	0.018	–
योग . .	0.723	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1277-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—टिकिया

(घ) क्षेत्रफल—0.386 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
129	0.336	–
118	0.050	–
योग . .	0.386	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1279-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—सॉव
(घ) क्षेत्रफल—0.233 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
707	0.140	–
1020	0.093	–
योग . .	0.233	–

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली चचाई वितरक नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 3036-भू-अर्जन-2011-रा. प्र. क्र. अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—भूरीघाटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.24 हेक्टर.

ग्राम-भूरीघाटी
निजी भूमि

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
189	0.12
212	0.12
योग . .	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भूरीघाटी तालाब निर्माण होने से ग्राम भूरीघाटी का कुल रकबा निजी भूमि 0.24 हेक्टर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.